नियम व शर्तें–

1. इंटर्नशिप को राज्य सरकार द्वारा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त किया जा सकता है।

2. RYM की 01.04.2023 को शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

3. आवेदक के पास स्वयं का लेपटाप व दुपहिया वाहन होना अनिवार्य है।

4. जो आवेदक आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा संचालित किसी भी इन्टर्नशिप कार्यक्रम यथा राजीव गाँधी युवा मित्र कार्यक्रम, यंग इन्टर्न्स कार्यक्रम इत्यादि के तहत पूर्व में इन्टर्नशिप कर चुके हैं, वे आवेदक इस कार्यक्रम के लिए अपात्र होंगे।

5. यदि किसी समय यह पाया जाता है कि इंटर्न द्वारा प्रस्तुत किए गए पात्रता से संबंधित दस्तावेज इंटर्नशिप की शर्तों के अनुरूप नहीं पाये जाते हैं अथवा अमान्य पाये जाते हैं तो यह इंटर्नशिप स्वतः ही तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएगी।

6. इंटर्नशिप के लिए आवंटित स्थान (राज्य, जिला, ब्लॉक एवं नगर निकाय) पर ही इंटर्नशिप का कार्य करवाया जाएगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा कार्य की आवश्यकतानुसार किसी भी समय परिवर्तित किया जा सकता है।

7. आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के पास इंटर्नशिप हेतु स्टाइपेन्ड की राशि तय करने और आवश्यकता पड़ने पर इसे परिवर्तित करने के सभी अधिकार सुरक्षित हैं। नियत स्टाइपेन्ड के अतिरिक्त इंटर्न को प्रतिमाह कार्य के लिए आवागमन, connectivity और laptop / mobile / tablet के रख–रखाव हेतु 2500/– रुपये का भत्ता भी देय होगा।

8. इंटर्न को सभी दिशा–निर्देशों और अनुशासन का पालन करना होगा। इन दिशा–निर्देशों और अनुशासन की अवहेलना करने पर अथवा इनके विपरीत कार्य करते हुए पाये जाने पर इंटर्नशिप को बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त किया जा सकता है।

9. इंटर्न को सभी प्रशिक्षणों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों/बैठकों में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

10. विभागीय अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा इंटर्नशिप के दौरान इंटर्न से 24X7 किसी भी समय संपर्क किया जा सकता है।

11. इंटर्न को प्रति माह केवल एक अवकाश की अनुमति होगी। संचयी अवकाशों का आगामी माहों में लाभ उठाया जा सकता है।

12. इंटर्न संचयी अवकाशों का एक सप्ताह (7 दिन) तक लगातार लाभ उठा सकता है। एक सप्ताह के अवकाश पूर्ण होने पर इंटर्न को पुनः अपनी उपस्थिति देनी होगी। यदि इंटर्न उपस्थित नहीं होता है तो उसे इंटर्नशिप में फिर से सम्मिलित होने के लिए एक सप्ताह का नोटिस दिया जाएगा। उसमें भी विफल रहने पर इंटर्नशिप समाप्त कर दी जाएगी।

13. इंटर्न को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (टेलीकॉल / टेलीकॉन्फ्रेंस / वीसी / ई–मेल / व्हाट्सएप / आरवाईएमपी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आदि) से ही सूचित किया जाएगा।

14. यदि इंटर्नशिप के दौरान ये पाया जाता है कि कोई भी इंटर्न इंटर्नशिप के अतिरिक्त कोई भी अन्य लाभ के कार्य (नौकरी, इंटर्नशिप इत्यादि) करता हुआ पाया जाता है, तो उसकी इंटर्नशिप तुरन्त प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी तथा पूर्व मे आहरित स्टाइपेन्ड की वसूली की जायेगी।

15. यदि कोई इंटर्न इंटर्नशिप के अतिरिक्त किसी संस्थान से नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययन करता हुआ पाया जाता है तो उसकी इंटर्नशिप तुरन्त प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी तथा पूर्व मे आहरित स्टाइपेन्ड की वसूली की जायेगी।

16. यदि इंटर्नशिप के दौरान ये पाया जाता है कि कोई भी इंटर्न इंटर्नशिप के अतिरिक्त किसी जनप्रतिनिधि के रूप में किसी पंचायती राज संस्था अथवा स्वायत्तशासी संस्था में पदाधिकारी (वार्ड पंच, वार्ड पार्षद, सरपंच, प्रधान, उपप्रधान, पंचायत समिति सदस्य आदि) भी है तो उसकी इंटर्नशिप तुरन्त प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी तथा पूर्व मे आहरित स्टाइपेन्ड की वसूली की जायेगी।

17. यदि किसी भी इंटर्न को इंटर्नशिप के दौरान किसी भी प्रकार के नशे–पते, तंबाकू, गुटका या व्यसन में रत पाया जाता हैं तो उसकी इंटर्नशिप तुरन्त प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी तथा पूर्व मे आहरित स्टाइपेन्ड की वसूली की जायेगी।

18. सभी चयनित इंटर्न को इंटर्नशिप के लिए उपस्थिति देते समय पुलिस चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि पुलिस चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र कोई नकारात्मक प्रविष्ठी पायी जाती हैं तो इंटर्नशिप हेतु अयोग्य माना जाएगा।

19. प्रत्येक इंटर्न को उपस्थिति देते समय दो प्रतिष्ठित व्यक्ति / राज्य पत्रित अधिकारियों से अलग–अलग नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे ।

20. विभाग द्वारा कार्य सम्पादन हेतु उपलब्ध करवाई गई सामग्री एवं अभिलेख इंटर्नशिप की समाप्ति अथवा विभाग द्वारा मांगने पर लौटाने होंगे।

आवेदक के हस्ताक्षर